

भारत सरकार
मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय
मत्स्यपालन विभाग
लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या – 2322
दिनांक 9 मार्च, 2021 के लिए प्रश्न
समुद्री मछली उत्पादन

2322. श्रीमती चिंता अनुराधा:

श्री पोचा ब्रह्मानंद रेड्डी:

डॉ. बीसेट्टी वेंकट सत्यवती:

क्या मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) मछुआरों की आय को दोगुना करने के लिए सरकार द्वारा उठाए गए कदमों का ब्यौरा क्या है;
- (ख) देश में विगत दस वर्षों में वर्ष-वार कुल कितना समुद्री मछली का उत्पादन हुआ है;
- (ग) विगत दस वर्षों के दौरान देश में वर्ष-वार कुल कितना अंतर्देशीय जल क्षेत्र में मछली उत्पादन हुआ है;
- (घ) क्या सरकार का मछुआरों को मछली पकड़ने के उपरांत बुनियादी ढांचागत उपलब्ध कराने और आधुनिक मछली पकड़ने के उपकरण प्रदान करने का विचार है;
- (ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और
- (च) 'मछुआरों के कल्याण सम्बन्धी राष्ट्रीय योजना' के अंतर्गत आंध्र प्रदेश के मछुआरों को कितनी सहायता प्रदान की गई है?

उत्तर

मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी राज्य मंत्री

(श्री प्रताप चन्द्र सारंगी)

(क) मत्स्यपालन विभाग, मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय द्वारा पिछले वर्षों में अनेकों पहल आरंभ की गई है जिनमें अन्य बातों के साथ-साथ मात्स्यिकी क्षेत्र का सतत एवं जिम्मेदार तरीके से विकास करने के साथ इनका उद्देश्य मछुआरों की आय को दुगुना करना है। उठाए गए कुछ कदमों में निम्नलिखित शामिल हैं:

(i) वर्ष 2015-16 से 2019-20 के दौरान केन्द्रीय प्रायोजित योजना (सी.एस.एस.): *नीली क्रांति: मात्स्यिकी का एकीकृत विकास और प्रबंधन* का कार्यान्वयन। इस योजना ने मात्स्यिकी क्षेत्र के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया है।

(ii) एक फ्लैगशिप योजना *प्रधान मंत्री मत्स्य संपदा योजना* (पी.एम.एम.एस.वाई.)- भारत में मात्स्यिकी क्षेत्र में सतत एवं जिम्मेदार विकास के माध्यम से नीली क्रांति लाने की योजना का मात्स्यिकी के क्षेत्र में अब तक के सबसे अधिक 20050 करोड़ रुपये के निवेश से शुभारंभ। यह योजना वित्त वर्ष 2020-21 से वित्त वर्ष 2024-25 तक पाँच वर्षों की अवधि में सभी राज्यों/ संघ राज्य क्षेत्रों में लागू की जा रही है। इस योजना का उद्देश्य मछली उत्पादन और उत्पादकता, गुणवत्ता, प्रौद्योगिकी, पोस्ट-हार्वेस्ट के बुनियादी ढांचे का विकास और प्रबंधन, मूल्य श्रृंखला का आधुनिकीकरण और सुदृढीकरण, ट्रेसबिलिटी, एक मजबूत मत्स्य प्रबंधन ढांचा और मछुआरों के कल्याण की स्थापना में महत्वपूर्ण अंतराल को संबोधित करना है।

(iii) भारत सरकार ने वर्ष 2018-19 में मछुआरों तथा पशुपालक किसानों की कार्यशील पूंजी की जरूरतों की पूर्ति करने में उनकी मदद करने के लिए किसान क्रेडिट कार्ड (के.सी.सी.) की सुविधा का विस्तार किया।

(iv) मात्स्यिकी और जलीय कृषि अवसंरचना निधि (एफ.आई.डी.एफ) का कुल परिव्यय 7522 करोड़ रुपये से सृजन, जिसका उद्देश्य राज्य सरकारों/ संघ राज्य क्षेत्र और राज्य की पात्र संस्थाओं (ई.ई.) को चिन्हित की गई मात्स्यिकी एवं जलीय कृषि की अवसंरचना संबंधी सुविधाओं के विकास के लिए रियायती वित्त उपलब्ध कराना है।

(ख) और (ग): पिछले दस वर्षों के दौरान देश में कुल समुद्री तथा अंतःदेशीय मछली उत्पादन का राज्य-वार ब्यौरा नीचे दिया गया है:

वर्ष	मछली उत्पादन (मात्रा टन में)	
	कुल समुद्री मछली उत्पादन	कुल अंतःदेशीय मछली उत्पादन
2010-11	32.50	49.81
2011-12	33.72	52.94
2012-13	33.21	57.19
2013-14	34.43	61.36
2014-15	35.69	66.91
2015-16	36.00	71.62
2016-17	36.25	78.06
2017-18	37.56	89.48
2018-19	38.53	97.20
2019-20	37.27	104.37

(ङ) और (घ): मत्स्यपालन विभाग, मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय, भारत सरकार अपनी चल रही योजनाओं और कार्यक्रमों के माध्यम से मात्स्यिकी सेक्टर की पोस्ट हार्वेस्ट अवसंरचना सुविधाओं के विकास के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करती है, जिसमें मत्स्य बंदरगाह, मछली लैंडिंग केंद्र, कोल्ड स्टोरेज का निर्माण, आइस प्लांट-सह-कोल्ड स्टोरेज, फिश फीड मिल्स, इंसुलेटेड और रेफ्रिजरेटेड फिश ट्रांसपोर्ट सुविधाएं, आइस बॉक्स के साथ साइकिल और मोटर साइकिल, होलसेल फिश मार्केट, फिश रिटेल आउटलेट्स, कियोस्क आदि का निर्माण शामिल हैं। इसके अलावा, मत्स्यपालन विभाग, भारत सरकार तकनीकी रूप से उन्नत मछली पकड़ने के जहाजों के अधिग्रहण के लिए वित्तीय सहायता, पारंपरिक मछुआरों के लिए गहरे समुद्र में मछली पकड़ने के जहाजों, पारंपरिक मछुआरों की मत्स्यन नौकाओं और जाल के लिए भी वित्तीय सहायता प्रदान करता है। पारंपरिक और मोटरीकृत मत्स्य नौकाओं के मछुआरों के लिए सुरक्षा किट, पारंपरिक और मोटरीकृत मत्स्य नौकाओं को ट्रेकिंग डिवाइस और / या निगरानी, नियंत्रण और सर्विलेंस के लिए बुनियादी सुविधाये प्रदान करता है।

(च): पिछले पांच वर्षों (2015-16 से 2019-20) के दौरान, मत्स्यपालन विभाग, भारत सरकार ने पूर्ववर्ती केंद्र प्रायोजित योजना (सीएसएस) नीली क्रांति: मात्स्यिकी का एकीकृत विकास और प्रबंधन योजना के अंतर्गत एक घटक राष्ट्रीय मछुआरा कल्याण योजना के तहत आंध्र प्रदेश सरकार को 20.08 करोड़ रुपये की धनराशि प्रदान की।